अध्याय–II
विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

अध्याय-II

विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित गतिविधियाँ

उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय टर्नअराउंड हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान एवं इक्विटी प्रदान करते हुए 30 सितम्बर 2015 तक वितरण कम्पनियों के कुल बकाया ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करना परिकल्पित था। इस योजना में वितरण कम्पनियों की हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करने की भी परिकल्पना की गयी थी।

एमओपी के निर्देशों के विपरीत वितरण कम्पनियों ने आर–एपीडीआरपी ऋण को कुल बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा, जिसके कारण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक ऋण का अधिग्रहण किया गया। वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से हानि वित्तपोषण की अधिक धनराशि का भी दावा किया। वे उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकीं। उ.प्र. सरकार ने वितरण कम्पनियों को समय पर सब्सिडी की धनराशि जारी नहीं की। उ.प्र. सरकार ने उदय एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध, सरकारी देयों और अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी को भी उदय अनुदान से समायोजित किया। इससे वितरण कम्पनियों का वित्तीय टर्नअराउंड प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य

2.1 उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड का मुख्य उद्देश्य, वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करते हुए और उदय योजना की कार्यान्वयन अवधि (2015–16 से 2019–20) के दौरान वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से वित्तपोषित करते हुए वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं दक्षता में सुधार करना था।

उदय योजना में वित्तीय टर्नअराउंड गतिविधियों का कार्यान्वयन

2.2 एमओयू, समयबद्ध सुधार हेतु अनुश्रवण किये जाने वाले, वित्तीय एवं परिचालन दक्षता मानदण्डों को निर्धारित करता है। उदय योजना के अनुसार वित्तीय मानदण्डों को नीचे दर्शाया गया है:

- वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण के 75 प्रतिशत को उ.प्र. सरकार द्वारा, 2015–16 एवं 2016–17 के दौरान अर्थात् 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत (30 जून 2016 तक) अधिग्रहित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (ए) से 1.2 (सी))
- उ.प्र. सरकार द्वारा, वितरण कम्पनियों को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत ऋण एवं द्वितीय वर्ष में 25 प्रतिशत ऋण का 50:25:25 के अनुपात में, अनुदान, ऋण एवं इक्विटी के मिश्रण के रूप में हस्तान्तरित करना। तृतीय वर्ष में, 25 प्रतिशत हस्तान्तरित ऋण को अनुदान में परिवर्तित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (डी))
- उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 से 2019–20 की वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से 2020–21 तक अधिग्रहित करना। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (आई))
- राज्य सरकार के विभागों द्वारा, विद्युत आपूर्ति हेतु सभी बकाया देयों का वितरण कम्पनियों को त्वरित भुगतान। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (जे))

- उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों के शेष ऋण/वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्र के लिए मूलधन एवं ब्याज के भुगतान की गारंटी देगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (के))
- उ.प्र. सरकार, 1 अक्टूबर 2015 के बाद वर्तमान हानियों की पूर्ति करने के लिए लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा के अंदर स्वयं बन्धपत्र निर्गत करेगी या वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्र की गारंटी देगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.2 (एल))
- 31 मार्च 2016 को वितरण कम्पनियों के पास शेष ऋण के पचास प्रतिशत हेतु, वितरण कम्पनियाँ, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्र पूर्ण/आंशिक रूप से निर्गत करेंगी या उन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋणों या बन्धपत्र में परिवर्तित करवाएंगी, जिनकी ब्याज दर बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक नहीं होगी। (एमओयू का क्लॉज संख्या 1.3 (ए))

उदय योजना के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए लेखापरीक्षा ने उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति, उदय योजना में वित्तीय गतिविधियों के लक्ष्यों एवं इसकी उपलब्धियों और उदय योजना के पश्चात् की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया।

उदय से पूर्व वित्तीय स्थिति के साथ उदय के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

2.3 कुल बकाया ऋण और हानियों से सम्बन्धित वितरण कम्पनियों की उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति के साथ–साथ उदय के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों और उनके विरुद्ध उपलब्धि/कमी को नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: वितरण कम्पनियों की उदय से पूर्व की वित्तीय स्थिति की अवस्था, उदय के अन्तर्गत लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वित्तीय मानदण्ड	उदय से पूर्व की स्थिति	उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण को चुकाने एवं हानियों के वित्तपोषण के लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणियाँ
वितरण कम्पनियों का कुल बकाया ऋण	₹ 59,205.19 करोड़ (30 सितम्बर 2015 को) (एमओपी के निर्देशों[1] के अनुसार ₹ 2,816.88 करोड़ के आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर रखने के पश्चात् ₹ 56,388.31 करोड़)	उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 44,403.89 करोड़ (एमओपी के निर्देशों के अनुसार आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर रखने के पश्चात ₹ 42,291.23 करोड़)	₹ 44,403.89 करोड़	आर–एपीडीआरपी ऋण को कुल बकाया ऋण से बाहर न रखने के कारण उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के ऋण का ₹ 2,112.66 करोड़ अधिक अधिग्रहण किया गया जैसा कि **प्रस्तर 2.4.1** में चर्चा की गयी है।
		यूपीपीसीएल द्वारा ₹ 14,097.08 करोड़	₹ 11,984.42 करोड़[2]	वितरण कम्पनियों द्वारा ऋण के भुगतान में ₹ 2,112.66 करोड़ की कमी थी जैसा कि **प्रस्तर 2.4.1** में चर्चा की गयी है।
वितरण कम्पनियों की हानियाँ	₹ 2,654.42 करोड़ (वर्ष 2015–16 के लिए)	₹ 4,071.52 करोड़[3]	₹ 12,049.49 करोड़	वितरण कम्पनियों द्वारा उ.प्र. सरकार से ₹ 7,977.97 करोड़ के हानि

[1] एमओपी के ओएम दिनांक 18 अप्रैल 2016 के अनुसार।

[2] ₹ 615.45 करोड़ के एफआरपी बन्धपत्र (जिन्हें उदय बन्धपत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाना था) और 30 सितम्बर 2015 से वास्तविक अधिग्रहण की तिथि तक की अवधि के दौरान बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ₹ 992.68 करोड़ की ऋण किस्तों के भुगतान, सहित।

[3] एमओपी के दिनांक 20 नवम्बर 2015 के ओएम के प्रस्तर 8.1 के साथ पठित एमओयू के प्रस्तर 1.2 (आई) के अनुसार, उ.प्र. सरकार 2017–18 से 2020–21 के दौरान वितरण कम्पनियों की पिछले वर्ष की वास्तविक हानियों के निर्दिष्ट प्रतिशत को अधिग्रहित करेगी। तद्नुसार, उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कुल हानियों की गणना की गयी है।

वित्तीय मानदण्ड	उदय से पूर्व की स्थिति	उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के ऋण को चुकाने एवं हानियों के वित्तपोषण के लक्ष्य	उपलब्धि	टिप्पणियाँ
				वित्तपोषण का अधिक दावा[4] किया गया जैसा कि **प्रस्तर 2.4.3** में चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा ने ऋण अधिग्रहित करने की प्रक्रिया एवं ऋण अधिग्रहित करने से सम्बन्धित अन्य गतिविधियों जैसे बन्धपत्र निर्गत करना और ऋण का भुगतान आदि तथा उदय योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् वितरण कम्पनियों की स्थिति की जाँच की। अग्रेतर, उदय योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वित्तीय हानियों को कम करने में वितरण कम्पनियों की विफलता की भी जाँच की गयी। अवलोकित की गयी कमियों पर चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

वित्तीय टर्नअराउंड से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम

2.4 लेखापरीक्षा ने उदय योजना के अन्तर्गत वित्तीय गतिविधियों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ पायी।

कुल बकाया ऋण में से आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक ऋण का अधिग्रहण

2.4.1 एमओयू के क्लॉज 1.2 के अनुसार, वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड के लिए उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित करना था। अग्रेतर, एमओयू के क्लॉज 1.3 (ए) के अनुसार, शेष 25 प्रतिशत ऋण को वितरण कम्पनियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्रों के माध्यम से निर्वाहित किया जाएगा या इसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण या बन्धपत्र जिसकी ब्याज दर बैंकों की बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक न हो, में परिवर्तित किया जाएगा। एमओपी ने दिनांक 18 अप्रैल 2016 के ओएम द्वारा स्पष्ट किया कि रिस्ट्रैक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेन्ट एण्ड रिफार्म्स प्रोग्राम (आर–एपीडीआरपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के ऋणों को राज्यों द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाएगा अथवा वितरण कम्पनियों के बन्धपत्र के रूप में निर्गत नहीं किया जाएगा। इन ऋणों को वितरण कम्पनियों के लेखों में भारत सरकार/एफआई/बैंक ऋणों के रूप में दिखाना जारी रखा जा सकता है एवं इन्हें निर्वाहित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, आर–एपीडीआरपी ऋणों को उदय योजना के दायरे से बाहर रखा गया था।

एमओपी के निर्देशों के विपरीत, कुल बकाया ऋण से आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण, उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 2,112.66 करोड़ के अधिक ऋण को अधिग्रहित करना पड़ा।

वितरण कम्पनियों ने 30 सितम्बर 2015 तक ₹ 59,205.19 करोड़ के कुल बकाया ऋण में से ₹ 44,403.89 करोड़ के ऋण को उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के लिए निर्धारित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमओपी द्वारा ओएम निर्गत (18 अप्रैल 2016) करने के पश्चात् भी, वितरण कम्पनियों द्वारा ₹ 2,816.88 करोड़ के आर–एपीडीआरपी ऋण को बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा गया। आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर न रखने के कारण, उ.प्र. सरकार को वितरण कम्पनियों के ₹ 2,112.66 करोड़ (₹ 2,816.88 करोड़ का

[4] यूपीपीसीएल द्वारा आगणित ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर किया गया दावा। ओएफआर, आवश्यक वित्तपोषण है जिसकी गणना नकद हानि/लाभ में चल सम्पत्तियों में कमी/चल दायित्वों में वृद्धि को जोड़ने और/या चल सम्पत्तियों में वृद्धि/दीर्घकालीन दायित्वों में कमी को घटाने के पश्चात् एवं राज्य सरकार से नकद सहयता को समायोजित करने के उपरान्त की गयी है जैसा कि एमओयू में उल्लिखित है।

75 प्रतिशत) के अधिक ऋण को अधिग्रहित करना पड़ा, जिसे अन्यथा वितरण कम्पनियों द्वारा चुकाया जाना चाहिए था।

उत्तर में, विभाग ने बताया कि उपर्युक्त उल्लिखित ओएम के द्वारा एमओपी निर्णय के अनुसार, उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहण करने हेतु, आर–एपीडीआरपी ऋण को उदय योजना में सम्मिलित नहीं किया जाना था। तदनुसार, ₹ 2,816.88 करोड़ का आर–एपीडीआरपी ऋण वितरण कम्पनियों के लेखों में रखा गया एवं उ.प्र. सरकार ने आर–एपीडीआरपी ऋण का 75 प्रतिशत अधिग्रहित नहीं किया। इस प्रकार, उ.प्र. सरकार द्वारा ऋण का कोई अतिरिक्त अधिग्रहण नहीं किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि आर–एपीडीआरपी ऋण उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं किया गया था परन्तु इस ऋण को उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जाने वाले ऋण के, 75 प्रतिशत भाग की गणना के लिए, उदय योजना के अन्तर्गत कुल बकाया ऋण से बाहर नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों के ऋण का अधिक अधिग्रहण किया गया।

एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उदय अनुदान से सरकारी देयों और टैरिफ सब्सिडी का समायोजन

2.4.2 जैसा कि उपर्युक्त **तालिका 2.1** में उल्लिखित है, उ.प्र. सरकार को एमओयू के प्रावधानों के अनुसार, वितरण कम्पनियों के 30 सितम्बर 2015 तक के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2016–17 (30 जून 2016 तक) तक अधिग्रहित करना था।

उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित किये जाने वाले ऋण तथा उसके सापेक्ष जारी की गयी इक्विटी एवं अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
वास्तविक रूप से अधिग्रहित किया गया ऋण	44,403.89
अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध जारी की गयी इक्विटी	15,053.57
अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध जारी किया गया अनुदान	29,350.32

एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध उ.प्र. सरकार ने अधिग्रहित ऋण के विरुद्ध दिए गए उदय अनुदान से ₹ 4,268.86 करोड़ का विद्युत देय और ₹ 25,081.46 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार ने तत्पश्चात् आदेशित किया (मार्च 2021) कि ₹ 29,350.32 करोड़ के जारी किये गए अनुदान के सापेक्ष, ₹ 4,268.86 करोड़ के सरकारी विभागों के विद्युत बिलों के देयों एवं वर्ष 2019–20 तक उ.प्र. सरकार द्वारा देय ₹ 25,081.46 करोड़[5] की अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी को भुगतान किया हुआ माना जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुदान से विद्युत देयों एवं अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी का समायोजन, एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था क्योंकि उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को उनके ऋण को अधिग्रहित करने के लिए अनुदान दिया गया था। इससे राज्य की वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि वितरण कम्पनियाँ, सरकारी विभागों के विद्युत बिलों के बकाया देयों और सब्सिडी के सापेक्ष, उ.प्र. सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि से वंचित रहीं।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि उदय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए ऋण के विरुद्ध देय सरकारी देयों एवं टैरिफ सब्सिडी का समायोजन इस आधार पर किया गया था कि यदि यह सब्सिडी उ.प्र. सरकार द्वारा पहले ही स्वीकार और प्रदत्त कर दी गयी होती तो वितरण कम्पनियाँ अतिरिक्त कार्यशील पूँजी उधार नहीं लेती जिसे अंततः उ.प्र. सरकार द्वारा उदय योजना के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया।

[5] वितरण कम्पनियों द्वारा उ.प्र. सरकार से दावा की गयी 2007–08 से 2019–20 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 39,743.00 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी में से।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय अनुदान से सरकारी देयों एवं टैरिफ सब्सिडी का समायोजन, एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था और इसने उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

उ.प्र. सरकार से हानियों के विरुद्ध अधिक दावा

2.4.3 एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) के अनुसार, उ.प्र. सरकार वितरण कम्पनियों की भविष्य की हानियों को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करेगी और हानियों को निम्नानुसार वित्तपोषित करेगी:

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली वितरण कम्पनी की पिछले वर्ष की हानि	2016–17 की हानि का 5 प्रतिशत	2017–18 की हानि का 10 प्रतिशत	2018–19 की हानि का 25 प्रतिशत	2019–20 की हानि का 50 प्रतिशत

अग्रेतर, उदय योजना पर एमओपी के दिनांक 20 नवम्बर 2015 के कार्यालय ज्ञापन के प्रस्तर 8.1 में भी यह प्रावधानित था कि प्रत्येक वर्ष की गणना के लिए वर्तमान वर्ष की अनुमानित हानियों की बजाय 'पिछले वर्ष' की वास्तविक हानियों का उपयोग किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वितरण कम्पनियों की ओर से यूपीपीसीएल ने वास्तविक हानियों के आधार पर दावा करने के बजाय ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर उ.प्र. सरकार से हानि के वित्तपोषण का दावा किया एवं उ.प्र. सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति भी कर दी गयी। वास्तविक हानियों के आधार पर दावे योग्य हानि वित्तपोषण की राशि एवं ओएफआर के आधार पर उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की गयी हानियों का विवरण नीचे **तालिका 2.2** में दिया गया है।

तालिका 2.2: दावे योग्य हानि वित्तपोषण की राशि एवं उ.प्र. सरकार द्वारा ओएफआर के आधार पर अधिग्रहित हानियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमओयू के अनुसार अधिग्रहित की जाने वाली हानि का प्रतिशत	वितरण कम्पनियों की वास्तविक हानियाँ	उ.प्र. सरकार द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली हानि	वितरण कम्पनियों द्वारा आगणित ओएफआर	ओएफआर के आधार पर उ.प्र. सरकार द्वारा वास्तविक रूप से अधिग्रहित की गयी हानि	उ.प्र. सरकार द्वारा अधिक अधिग्रहित की गयी हानियाँ
2016-17	शून्य	3,182.05	शून्य	13,376.43	शून्य	0
2017-18	2016–17 की हानि का 5 प्रतिशत	5,083.30	159.10	14,171.24	668.81	509.71
2018-19	2017–18 की हानि का 10 प्रतिशत	6,031.89	508.33	16,834.74	1,417.21	908.88
2019-20	2018–19 की हानि का 25 प्रतिशत	3,792.24	1,507.97	11,510.00	3,685.00	2,177.03
2020-21	2019–20 की हानि का 50 प्रतिशत		1,896.12		6,278.47[6]	4,382.35
योग			**4,071.52**		**12,049.49**	**7,977.97**

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

इस प्रकार, उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूपीपीसीएल ने, उ.प्र. सरकार से हानि वित्तपोषण का दावा करने में, एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) के प्रावधानों का

[6] इसमें वर्ष 2019–20 का ₹ 523.47 करोड़ तथा वर्ष 2020–21 का ₹ 5,755.00 करोड़ सम्मिलित हैं। उ.प्र. सरकार द्वारा इस धनराशि को 10 वर्षों की अवधि में अवमुक्त करने हेतु आस्थगित किया गया।

यूपीपीसीएल ने वास्तविक हानियों के बजाय ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट के आधार पर हानि वित्तपोषण का दावा किया, जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों की ₹ 7,977.97 करोड़ की हानियों का अधिक अधिग्रहण किया गया।

उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 7,977.97 करोड़ की हानियों का अधिक अधिग्रहण किया गया।

विभाग ने उत्तर दिया कि उ.प्र. सरकार से हानि सब्सिडी सहायता के सापेक्ष दावा, सकल ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट (ओएफआर) के आधार पर किया गया था, जो कि एमओयू में परिकल्पित था और लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर आगणित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू के क्लॉज 1.2 (आई) में कहा गया है कि उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों की 'भविष्य की हानियों' को चरणबद्ध तरीके से अधिग्रहित करेगी। अग्रेतर, उदय योजना के ओएम के प्रस्तर 8.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष हेतु हानि वित्तपोषण की गणना के लिए 'पिछले वर्ष की वास्तविक हानियों' का उपयोग किया जाएगा।

लॉस ट्राजेक्टरी से अधिक के बन्धपत्रों को निर्गत करना

2.4.4 एमओयू के क्लॉज 1.2 (एम) में प्रावधान है कि 1 अक्टूबर 2015 के बाद की वर्तमान हानियाँ, यदि कोई हो, केवल लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा तक ही वित्तपोषित की जाएंगी और ऐसा वित्तपोषण राज्य द्वारा बन्धपत्र निर्गत करके या राज्य सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित, वितरण कम्पनियों द्वारा निर्गत बन्धपत्रों के माध्यम से किया जाएगा। एमओयू के अनुसार वर्ष–वार अनुमानित हानि निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एमओयू के अनुसार अनुमानित हानि (-)/शुद्ध आय	(-) 7,724	(-) 5,012	(-) 2,621	568	3,647

यूपीपीसीएल द्वारा हानि वित्तपोषण से सम्बन्धित निर्गत बन्धपत्रों के विवरण नीचे **तालिका 2.3** में दिये गये हैं।

तालिका 2.3: यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत बन्धपत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमओयू में लॉस ट्राजेक्टरी के अनुसार निर्गत किये जाने वाले बन्धपत्र	यूपीपीसीएल द्वारा वास्तव में निर्गत किये गए बन्धपत्र	ब्याज की दर (प्रतिशत में)	निर्गत किये गए अधिक बन्धपत्र
2015-16 (अक्टूबर 15-मार्च 16)	3,862	9,999.50	8.48 एवं 8.97	1,125.50
2016-17	5,012			
2017-18	2,621	9,989.20	9.75 एवं 10.15	7,368.20
योग	**11,495**	**19,988.70**		**8,493.70**

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि यूपीपीसीएल ने एमओयू के प्रावधान के उल्लंघन में 8.48 प्रतिशत से लेकर 10.15 प्रतिशत के मध्य की ब्याज दर पर ₹ 8,493.70 करोड़ के अधिक बन्धपत्र निर्गत किये। बन्धपत्र अधिक निर्गत करने के कारण, यूपीपीसीएल को अक्टूबर 2022 तक ₹ 3,505.20 करोड़[7] के ब्याज का भार वहन करना पड़ा जिसका उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार को, उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों द्वारा लॉस ट्राजेक्टरी से अधिक निर्गत किए गए बन्धपत्रों के लिए अतिरिक्त गारंटी प्रदान करनी पड़ी।

[7] ₹ 8,493.70 करोड़ के निर्गत किये गए अधिक बन्धपत्र पर आनुपातिक ब्याज।

उत्तर में, विभाग ने कहा कि एमओयू के अनुसार, हानियों का वित्तपोषण सकल ऑपरेशनल फंडिंग रिक्वायरमेंट के सापेक्ष था, जिसकी परिकल्पना एमओयू में की गयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू में निर्धारित लॉस ट्राजेक्टरी की सीमा तक ही बन्धपत्र निर्गत किये जाने थे।

वितरण कम्पनियों द्वारा एफआरपी बन्धपत्रों का उच्च ब्याज दरों पर अधिग्रहण

2.4.5 एमओयू के क्लॉज 1.3 (ए) में वर्णित है कि 31 मार्च 2016 को शेष ऋण के 50 प्रतिशत हेतु वितरण कम्पनियाँ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत बन्धपत्र पूर्ण/आंशिक रूप से निर्गत करेंगी या उन्हें ऋणों अथवा बन्धपत्र में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिवर्तित करवाएगी जिनकी ब्याज दर बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक नहीं होगी। वितरण कम्पनियाँ एवं उ.प्र. सरकार, वितरण कम्पनियों के पास शेष ऋण के मूलधन/ब्याज का, ऋणदाताओं को समयानुसार भुगतान सुनिश्चित करेंगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 299.49 करोड़ की धनराशि के एफआरपी बन्धपत्र अधिग्रहित किये गए और 30 मार्च 2017 को 15 वर्ष की अवधि के लिए उदय बन्धपत्र के रूप में निर्गत किए गए।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि वितरण कम्पनियों द्वारा 9.70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर उपर्युक्त उदय बन्धपत्र निर्गत किये गए थे जबकि निर्गत करते समय प्रचलित बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात्, प्राप्त दर 9.45 प्रतिशत थी। यह एमओयू के प्रावधान के विरुद्ध था जिसमें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि बन्धपत्रों को बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर से अधिक ब्याज पर निर्गत न किए जाए। परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2022 तक वितरण कम्पनियों को ₹ 3.97 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज भार वहन करना पड़ा और मार्च 2032 में बन्धपत्रों के मोचन तक, ₹ 2.97 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज वहन करना संभावित है, जिसे बचाया जा सकता था।

विभाग ने उत्तर दिया कि मौजूदा ऋणदाताओं को एमओयू आधारित पूर्व निर्धारित बैंक बेस दर + 0.1 प्रतिशत अर्थात् 9.70 प्रतिशत पर ऋण निर्गत किए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमओयू के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार बन्धपत्र प्रचलित बैंक बेस दर में 0.1 प्रतिशत जोड़ने के पश्चात् प्राप्त दर पर निर्गत किये जाने थे, जो कि नहीं किये गए थे।

डेब्ट सर्विस रिजर्व अकाउन्ट में अतिरिक्त धनराशि रखने के कारण परिहार्य ब्याज भार

2.4.6 यूपीपीसीएल ने हानि वित्तपोषण के लिए 2016–17 एवं 2017–18 के दौरान चार चरणों में ₹ 19,988.70 करोड़ के सरकारी गारंटीकृत बन्धपत्र निर्गत किये, जिसका विवरण नीचे **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: यूपीपीसीएल द्वारा निर्गत बन्धपत्रों से सम्बन्धित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बन्धपत्र का विवरण	डिबेन्चर ट्रस्टी	बैंक खाता	खाता संख्या	बन्धपत्र धनराशि
1.	8.97 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (17.03.17)	विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड	एचडीएफसी बैंक	50200004167832	6,510.00
2.	8.48 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (27.03.17)			50200017358986	3,489.50
3.	9.75 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (05.12.17)	बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड	आईसीआईसीआई बैंक	628105501280	4,498.20

क्र. सं.	बन्धपत्र का विवरण	डिबेन्चर ट्रस्टी	बैंक खाता	खाता संख्या	बन्धपत्र धनराशि
4.	10.15 प्रतिशत रेटेड सूचीबद्ध बन्धपत्र (27.03.18)			628105501283	5,491.00
योग					**19,988.70**

स्रोतः यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

उपर्युक्त **तालिका 2.4** के क्रम संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित बन्धपत्र अनुबन्ध के क्लॉज[8] के अनुसार, अगली देय तिथि पर देय होने वाले बकाया बन्धपत्रों के लिए कुल ऋण सेवा दायित्व (मूलधन और ब्याज) के बराबर धनराशि को निर्गतकर्ता द्वारा डेब्ट सर्विस रिर्ज़व अकाउन्ट (डीएसआरए) में रोलिंग आधार पर रखा जायेगा। इसी प्रकार, **तालिका 2.4** के क्रम संख्या 3 एवं 4 में उल्लिखित बन्धपत्र अनुबन्ध के क्लॉज[9] के अनुसार अगली दो तिमाहियों में देय ऋण सेवा दायित्व (मूलधन और ब्याज) के बराबर धनराशि को डीएसआरए में रोलिंग आधार पर बनाए रखना प्रावधानित है।

ऊपरलिखित क्लॉजों के अनुसार, यूपीपीसीएल द्वारा आवश्यक ऋण सेवा दायित्व के बराबर धनराशियाँ रखते हुए डीएसआरए खातों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने यद्यपि देखा कि यूपीपीसीएल ने, डीएसआरए खातों में, ऋण सेवा के लिए आवश्यक धनराशि से अधिक धनराशि को रखा। 2016–17 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अतिरिक्त रखी गयी धनराशि ₹ 17.33 करोड़ से ₹ 365.28 करोड़ के मध्य थी जैसा कि नीचे **तालिका 2.5** में वर्णित है।

तालिका 2.5: डीएसआरए में आवश्यकता से अधिक जमा राशि को प्रदर्शित करती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में डीएसआरए खातों में धनराशि	अनुबन्ध के अनुसार रखे जाने योग्य धनराशि	डीएसआरए खातों में रखी गयी अधिक धनराशि (एफडीआर एवं निवेश सहित)
2016-17	224.44	204.04	20.40
2017-18	728.24	362.96	365.28
2018-19	1,024.80	839.21	185.59
2019-20	1,678.93	1,602.91	76.02
2020-21	1,548.98	1,512.00	36.98
2021-22	1,438.68	1,421.34	17.33
2022-23	1,388.93	1,362.55	26.38

स्रोतः यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना पर आधारित

इस प्रकार, डीएसआरए खातों में अधिक धनराशि रखने के कारण, यूपीपीसीएल इस धनराशि का उपयोग नहीं कर सका और अपनी कार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उच्च दर पर ऋण लिया, जिसे डीएसआरए खाते में रखी गयी अधिक धनराशि का उपयोग करके बचाया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप यूपीपीसीएल पर अक्टूबर 2022 तक ₹ 18.71 करोड़[10] के ब्याज का भार पड़ा।

---

[8] एस्क्रो खाता अनुबन्ध का क्लॉज 1 और ₹ 6,510 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का क्लॉज 2.11 तथा ₹ 3,489.50 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का क्लॉज 2.13 जिसका उल्लेख तालिका 2.4 की क्रम संख्या 1 एवं 2 में किया गया है।

[9] एस्क्रो खाता अनुबन्ध का क्लॉज 1 और ₹ 4,498.20 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का क्लॉज 2.14.3 तथा ₹ 5,491 करोड़ के बन्धपत्र अनुबन्ध का क्लॉज 2.14.3 जिसका उल्लेख तालिका 2.4 की क्रम संख्या 3 एवं 4 में किया गया है।

[10] 8.25 से 11.32 प्रतिशत की ब्याज दर (यूपीपीसीएल द्वारा लिये गये कार्यशील पूंजी ऋण की वार्षिक भारित औसत ब्याज दर) में से 5.10 प्रतिशत से 7.25 प्रतिशत की ब्याज दर (2016–17 से 2022–23 के दौरान एक वर्ष की सावधि जमा पर तत्कालीन ब्याज दरें) जो डीएसआरए में रखी गयी धनराशि की सावधि जमाओं/निवेशों पर अर्जित ब्याज दरें थीं, को घटाकर आगणित।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीपीसीएल ने एफडीआर एवं एएए रेटेड प्रतिभूतियों में निवेश के माध्यम से डीएसआरए में अपेक्षित धनराशि बनाए रखी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएसआरए खाते में, ट्रेंच 1 एवं 2 के लिए एक तिमाही तथा ट्रेंच 3 एवं 4 के लिए दो तिमाहियों के बराबर भुगतान हेतु अपेक्षित धनराशि की सीमा तक ही धनराशि रखने की आवश्यकता थी।

वित्तीय टर्नअराउंड को प्रभावित करने वाले अन्य प्रकरण

2.5 लेखापरीक्षा ने अन्य प्रकरणों, जो त्रिपक्षीय एमओयू का भाग नहीं थे परन्तु इसने वितरण कम्पनियों के वित्तीय टर्नअराउंड को प्रभावित किया, का विश्लेषण किया एवं निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

उ.प्र. सरकार द्वारा बकाया सब्सिडी की कम अवमुक्ति

2.5.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 में प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में यदि राज्य सरकार को किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार प्रदायित सब्सिडी से प्रभावित व्यक्ति के मुआवजे की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा सब्सिडी योजना यथा टैरिफ सब्सिडी और पावर लूम कनेक्शनों के लिए सब्सिडी, संचालित की गयी थी। उपर्युक्त योजनाओं में उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी दी जानी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने सभी वितरण कम्पनियों हेतु 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) की अवधि के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के सम्बन्ध में दावा की गयी, प्राप्त एवं शेष सब्सिडी की स्थिति का विश्लेषण किया, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: उ.प्र.सरकार से बकाया सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दावा की गयी सब्सिडी	कुल देय सब्सिडी	वर्ष के दौरान प्राप्त सब्सिडी	सब्सिडी का बकाया
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 - 5
2015-16	20,970.30	10,263.04	31,233.34	5,590.00	25,643.34
2016-17	25,643.34	13,443.66	39,087.00	5,981.87	33,105.13
2017-18	33,105.13	13,643.08	46,748.21	6,099.83	40,648.38
2018-19	40,648.38	11,154.98	51,803.36	10,261.62	41,541.74
2019-20	41,541.74	11,198.15	52,739.89	10,270.00	42,469.89
2020-21	42,469.89	9,197.87	51,667.76	47,200.18[11]	4,467.58
2021-22	4,467.58	14,261.78	18,729.36	14,765.66	3,963.70
2022-23 (अक्टूबर 2022 तक)	3,963.70	8,130.40	12,094.10	7,787.50	4,306.60

स्रोत: यूपीपीसीएल द्वारा दी गयी सूचना

2015–16 से 2022–23 के दौरान उ.प्र. सरकार द्वारा वितरण कम्पनियों को सब्सिडी राशि कम निर्गत की गयी थी।

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि 2015–16 से 2022–23 (अक्टूबर 2022 तक) के दौरान सब्सिडी का सम्पूर्ण दावा उ.प्र. सरकार द्वारा निर्गत नहीं किया गया। योजना की कार्यान्वयन अवधि के अंत तक और उसके बाद अक्टूबर 2022 तक, ₹ 4,306.60 करोड़ के सब्सिडी दावे, उ.प्र. सरकार से निर्गत किये जाने हेतु शेष थे, जिससे वितरण कम्पनियों का राजस्व घाटा प्रभावित हुआ और उनपर अतिरिक्त भार पड़ा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 में ₹ 25,081.46 करोड़ के उदय अनुदान को सब्सिडी के भुगतान में से समायोजित कर दिया गया जैसा कि **प्रस्तर 2.4.2** में चर्चा की

[11] इसमें उदय अनुदान से समायोजित ₹ 25,081.46 करोड़ तथा उ.प्र. सरकार द्वारा 10 वर्षों की अवधि में भुगतान हेतु आस्थगित ₹ 14,661.54 करोड़ सम्मिलित है।

गयी है। सब्सिडी की कम प्राप्ति के कारण, वितरण कम्पनियाँ उस सीमा तक कार्यशील पूँजी धनराशि से वंचित रहीं।

विभाग ने उत्तर में कहा कि यूपीईआरसी द्वारा आगणित अतिरिक्त टैरिफ सब्सिडी, वितरण कम्पनियों के लेखों में नहीं दर्शायी गयी थी क्योंकि उसको उ.प्र. सरकार द्वारा कभी भी अनुमन्य नहीं किया गया था। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न स्कीम[12] की अधिसूचना के पश्चात्, उ.प्र. सरकार ने इस अतिरिक्त सब्सिडी को स्वीकार किया और इसे उदय योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुदान से समायोजित किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उदय के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुदान से अतिरिक्त सब्सिडी का समायोजन उदय एमओयू के प्रावधानों के विरुद्ध था।

टैरिफ सब्सिडी के आस्थगन के परिणामस्वरूप वितरण कम्पनियों पर परिहार्य ब्याज भार

2.5.2 जैसा कि उपरोक्त **प्रस्तर 2.5.1** में उल्लिखित है, उ.प्र. सरकार द्वारा सब्सिडी का भुगतान अग्रिम रूप से किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि उ.प्र. सरकार ने 2007–08 से 2019–20 की अवधि से सम्बन्धित ₹ 14,661.54 करोड़ की बकाया टैरिफ सब्सिडी 10 वर्षों की अवधि में किश्तों में निर्गत करने हेतु आस्थगित (जुलाई 2020) कर दी। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने (जुलाई 2020) निर्देश दिया कि कोविड–19 लॉकडाउन अवधि के दौरान वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए धन की उपलब्धता हेतु यूपीपीसीएल, आरईसी एवं पीएफसी से ₹ 20,940 करोड़[13] का ऋण लेगा। तद्नुसार, यूपीपीसीएल ने यह धनराशि आरईसी एवं पीएफसी से ऋण के रूप में ली।

इस प्रकार, यूपीपीसीएल द्वारा सब्सिडी के स्थान पर ऋण लेने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2022 तक वितरण कम्पनियों पर ₹ 2,426.61 करोड़[14] का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य सरकार ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न स्कीम के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों के दावे को 10 वर्षों में अवमुक्त करना स्वीकार किया। वितरण कम्पनियों ने राज्य सरकार से ब्याज के वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान करने का भी अनुरोध किया, हालाँकि राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। अग्रेतर, सब्सिडी राशि पर अतिरिक्त ब्याज का भार सम्बन्धित वित्तीय वर्षों में उदय/जीएसडीपी/आरडीएसएस योजना की कार्यप्रणाली पर वृहद रूप से वित्तपोषित किया जाएगा।

उत्तर स्व–व्याख्यात्मक है क्योंकि ब्याज का भार वितरण कम्पनियों पर पड़ा जिससे उनकी वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

संस्तुति 1:

उ.प्र. सरकार वितरण कम्पनियों की उधार ली गयी धनराशि पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें समय पर सब्सिडी निर्गत कर सकती है।

अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में विफलता

2.5.3 विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 4.20 में प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी किसी भी उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करने के लिए नोटिस दे सकता है यदि प्रतिभूति जमा, उसकी पिछले वित्तीय वर्ष के औसत मासिक उपभोग के आधार पर प्राक्कलित 2 माह (बाद में इसे जुलाई 2019 से संशोधित कर 45 दिन कर दिया गया)

---

[12] लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न स्कीम भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत घोषित की गयी योजना थी, जिसके अन्तर्गत आरईसी और पीएफसी ने वितरण कम्पनियों को 10 वर्षों की अवधि के लिए विशेष दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया।

[13] 14,661.53 करोड़ की बकाया टैरिफ सब्सिडी के साथ उदय योजना के अन्तर्गत ₹ 6,278.47 करोड़ की लंबित हानि वित्तपोषण के समतुल्य।

[14] यूपीपीसीएल द्वारा भुगतान की गयी कुल ब्याज धनराशि: ₹ 3,465.75 करोड़ (₹ 20,940.00 करोड़ की ऋण धनराशि पर) x ₹ 14,661.54 करोड़/₹ 20,940.00 करोड़।

के अनुमानित विद्युत उपभोग बिल से कम हो। अग्रेतर, क्लॉज 4.20 (एफ) में प्रावधान है कि उपभोक्ता नोटिस मिलने के 30 दिनों के अंदर, अतिरिक्त प्रतिभूति जमा करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति जमा करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए विद्युत की आपूर्ति बंद कर सकता है जिस अवधि के दौरान विफलता जारी रहती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण कम्पनियाँ अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2022–23 के दौरान 9,219 वृहद एवं भारी उपभोक्ताओं से ₹ 2,873.54 करोड़[15] की अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली करने में विफल रहीं। उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली में विफलता के कारण वितरण कम्पनियाँ उस सीमा तक धन से वंचित रहीं।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि जून 2022 तक ₹ 77.79 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की वसूली की जा चुकी है और शेष धनराशि शीघ्रातिशीघ्र वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹ 2,873.54 करोड़ की देय अतिरिक्त प्रतिभूति जमा धनराशि के सापेक्ष मात्र ₹ 77.79 करोड़ की ही वसूली की गयी।

संस्तुति 2:

वितरण कम्पनियों को उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं हेतु उधार ली गयी धनराशि पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

निष्कर्ष

वितरण कम्पनियों ने एमओपी के निर्देशानुसार कुल बकाया ऋण से आर–एपीडीआरपी ऋण को बाहर नहीं रखा जिसके कारण उ.प्र. सरकार द्वारा ₹ 2,112.66 करोड़ के अधिक ऋण का अधिग्रहण किया गया। वितरण कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार से ₹ 7,977.97 करोड़ की हानि वित्तपोषण की अधिक धनराशि का भी दावा किया। उ.प्र. सरकार द्वारा हानि वित्तपोषण एवं टैरिफ सब्सिडी के आस्थगन के कारण वितरण कम्पनियों को लिए गये ऋण के ब्याज का परिहार्य भार वहन करना पड़ा। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने उनके द्वारा अधिग्रहित किये गये ऋण के विरुद्ध जारी उदय अनुदान से ₹ 4,268.86 करोड़ के विद्युत देयों और ₹ 25,081.46 करोड़ की टैरिफ सब्सिडी का समायोजन किया।

उ.प्र. सरकार ने वितरण कम्पनियों को सब्सिडी की कम धनराशि निर्गत की। वितरण कम्पनियाँ उपभोक्ताओं से अतिरिक्त प्रतिभूति जमा की समयबद्ध वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकीं, जिससे ऋण पर उनकी निर्भरता बढ़ गयी।

परिणामस्वरूप, उदय योजना में परिकल्पित वित्तीय टर्नअराउंड का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

[15] लेखापरीक्षा द्वारा वृहद एवं भारी उपभोक्ताओं के 45 दिनों के औसत उपभोग बिल एवं मार्च 2022 को उपलब्ध उनकी प्रतिभूति जमा धनराशि के मध्य अंतर के आधार पर आगणित।